# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 36/2019

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. सरूपराम पुत्र श्री धोकलराम जाति गवारियां निवासी ग्राम चिचड़ली तहसील लूणी जिला जोधपुर। | | 1. गेपरराम पुत्र श्री विशनाराम<br>2. आईदानराम पुत्र श्री विशनाराम जातियान् गवारियां निवासी ग्राम जानादेसर तहसील लूणी जिला जोधपुर। |

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।**

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री बलवीर चौधरी एवं नारायणराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

### आदेश

दिनांक : 14/2/2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हिंगोला पटवार क्षैत्र जानादेसर के खसरा नं. 246 रकबा 11.06 बीघा एवं खसरा नं. 246/1 रकबा 11.06 बीघा कुल रकबा 22.12 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक पुश्तैनी कृषि भूमि है जो प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा बनता हैं तथा इसी हिस्से अनुरूप मौके पर काबिज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी एवं बाड़ा इत्यादि बना हुआ हैं। उक्त भूमि को प्रार्थी की माता द्वारा खरीद की गई थी परन्तु वक्त खरीद प्रार्थी नाबालिग थ इस कारण बेचाननामा मात्र अप्रार्थी के पिता जो कि प्रार्थी के भाई विश्नाराम के नाम से करवा दिया था जबकि उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं विश्नाराम का 1/2 हिस्सा हैं। अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में होने का नाजायज फायदा उठा कर वो सम्पूर्ण भूमि को बेचना करने पर उतावला है तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकिया दे रहे है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी के वाद को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी के तथ्यों को अंगीकार कर विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के पिता द्वारा खरीदसुदा होना बताया तथा बेचाननामा की फोटो प्रति भी पेश की तथा निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि में रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पर खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओ की बहस सुनी। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में 1. 2013(1) आरआरटी पेज 133 (पैरा 7,8) 2. 2013 (2) आरआरटी पेज 828 (पैरा 10) 3. 2015(1) आरआरटी पेज 633 (पैरा 8) के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। इसी तरह प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में 1. आरआरडी 2002 पेज 118, 2. आरआरडी 1998 पेज 249, 3. आरआरडी 1999 पेज 466 पेश किये। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का मूल वाद घोषणा, बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को भूमि का बेचान न करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु पक्ष रखा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

चूंकि प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हैं कि अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार हैं तथा यह इनकी कयसुदा कृषि भूमि है जो कि दिनांक 05.05.1972 को सब रजिस्ट्रार जोधपुर से पंजीबद्ध विकय विलेख से हैं।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.02.24 15:50:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: